रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/ फाल्गुन 1, 1940
No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 128(अ).—केंद्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श के पश्चात ,दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,नामत: –

1. (1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सहायक निदेशक (सर्वेक्षण) के पद से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची के कॉलम (11) में -

(i) उप-शीर्षक पदोन्नति के अन्तर्गत, मौजूदा "नोट" को "नोट 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा.

(ii) "नोट 1" के रूप में संख्यांकित "नोट 1" के बाद, निम्नलिखित "नोट" अन्तर्विष्ट किया जाएगा, नामत:

"नोट 2.- पात्रता सेवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 के प्रवृत होने की तारीख से, नियमित आधार पर फीडर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष होगी।"

[फा. सं. के-11011/8/2018- डीडी II]

डी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

नोट: -मुख्य नियम दिनांक 21 जून, 2018 की अधिसूचना सं.सा.नि. 189 के द्वारा, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (I) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules to amend the Delhi Development Authority (Survey Cadre) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Survey Cadre) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Delhi Development Authority (Survey Cadre) Recruitment Rules, 2018, relating to the post of Assistant Director (Survey), in column (11),-

(i) under the sub-heading promotion, the existing "Note" shall be numbered as "Note 1";

(ii) after "Note 1" as so numbered, the following "Note" shall be inserted, namely:-

"Note 2.- the eligibility service shall be eight years for the persons holding the feeder posts on regular basis on the date the Delhi Development Authority (Survey Cadre) Recruitment Rules, 2018 came into force."

[F.No. K-11011/8/2018-DDIII]
V. K. KUSHWAHA, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 189, the dated 21st June, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.02.21 19:33:07 +05'30'